

प्रेषक,

डा० देवेश चतुर्वेदी,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-मण्डलायुक्त,

लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी एवं देवीपाटन मण्डल।

2-जिलाधिकारी

प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुरनगर, श्रावस्ती, आगरा तथा लखनऊ।

3-निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई० लखनऊ,

4-निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ।

5-निदेशक, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय लखनऊ,

6-निदेशक, डॉ० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय संस्थान लखनऊ,

7-प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,

मण्डलीय/जनपदीय चिकित्सालय, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर नगर,  
श्रावस्ती तथा लखनऊ।

8-मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर नगर, श्रावस्ती, आगरा तथा लखनऊ।

9-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,

गांधी स्मारक एवं संबंधित चिकित्सालय के०जी०एम०यू० लखनऊ/आई०एम०एस०,  
बी०एच०यू० वाराणसी।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 25 जनवरी, 2020

विषय:-“नोवल कोरोना वायरस-2019” के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, भारत सरकार, नई दिल्ली (एन०सी०डी०सी०) द्वारा “नोवल कोरोना वायरस-2019” की प्रभावी पहचान, सघन निगरानी, उपचार, बचाव, रोकथाम एवं दैनिक सूचना प्रेषित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं (छायाप्रति संलग्न)। यह वायरस सर्वप्रथम चीन के वुहान शहर में अचानक वृद्धि के रूप में प्रकट हुआ है। इस वायरस के संक्रमण से मनुष्य में फ्लू जैसे लक्षणों के प्रकट होने की सम्भावनाएं पाई गई हैं।

2- जनपद प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, श्रावस्ती एवं लखनऊ में एयरपोर्ट्स द्वारा तथा आगरा शहर में भी बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भ्रमण हेतु आते हैं, जिससे स्वस्थ व्यक्तियों में संक्रमण होने की सम्भावना विद्यमान है।

3- नेपाल में कोरोना वायरस से प्रभावित एक मरीज पाया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के नेपाल से सटे प्रदेश के 07 जनपदों में नेपाल-भारत सीमा से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग वहाँ सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर की जाए।

4- आने वाले स्वस्थ नागरिकों/विदेशी जो पिछले 14 दिनों में चीन के भ्रमण पर रहे हैं और उनका गन्तव्य प्रदेश के जिन जनपदों में है, उन जनपदों के जिलाधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सूचित कर दिया जाए ताकि अगले 04 सप्ताह तक उनके स्वास्थ्य का अनुश्रवण हो सके। साथ ही उन्हें यह भी सलाह दी जाए कि अगर उन्हें बुखार, कफ तथा श्वास लेने में कठिनाई आए तो वह तत्काल निकटतम चिकित्सालय में रिपोर्ट कर आवश्यक जाँच/परीक्षण करवायें।

5- अतः उक्त वायरस से होने वाली संक्रमण के उपचार, बचाव एवं रोकथाम हेतु निम्नलिखित कार्यवाही तत्काल किया जाना आवश्यक है:-

1. सभी जनपदों में समस्त चिकित्सा इकाइयों एवं त्वरित कार्यवाही दल (आर0 आर0 टी0) को भी पूर्णतः क्रियशील रखा जाए।
2. चिकित्सा इकाइयों पर आइसोलेशन बेड्स की उपलब्धता, वेंटिलेटर सुविधायुक्त चिकित्सालयों में वेंटिलेटर सहित सभी उपकरणों की क्रियाशीलता तथा पर्याप्त मानव संसाधन एवं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सहित सभी आवश्यक चिकित्सा-सुविधायुक्त रैपिड रिस्पांस टीम की उपलब्धता एवं गतिशीलता सुनिश्चित की जाए।
3. उपर्युक्त लक्षणों वाले ऐसे रोगी जिन्होंने गत 14 दिवसों पूर्व चीन की यात्रा किए हो अथवा जो इस बीमारी से ग्रसित किसी रोगी के सम्पर्क में आए हों, तो ऐसी स्थिति में उक्त रोगी को अविलम्ब आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर आवश्यक चिकित्सीय उपचार (मानकानुसार) करते हुए उसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 के ईमेल-[idsup@gmail.com](mailto:idsup@gmail.com) पर प्रतिदिन जिला सर्विलांस अधिकारी, आई0डी0एस0पी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जाए।
4. रोगी भर्ती की दैनिक सूचना शून्य होने की स्थिति में भी प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे तक प्रस्तर-3 में उल्लिखित ई-मेल पर प्रेषित की जाए।
5. मेडिकल कालेज सहित समस्त चिकित्सा इकाइयों में तैनात चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल कर्मियों का इस रोग के प्रति संवेदीकरण कराया जाए।
6. डिजीज सर्विलांस, आइसोलेशन वार्ड तथा वेंटिलेटर सहित सभी उपकरणों की क्रियाशीलता, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की उपलब्धता तथा संक्रमण पर रोकथाम हेतु पूर्व निर्धारित प्रोटोकॉल्स (**Infection Prevention Measure**) के प्रति समस्त कर्मचारियों एवं चिकित्सकों के संवेदीकरण सम्बन्धी सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ तत्काल पूर्ण कर ली जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,  
( **डा० देवेश चतुर्वेदी** )  
प्रमुख सचिव।

संख्या-151(1)/पॉच-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी एवं देवीपाटन मण्डल।

आज्ञा से,

( **शत्रुञ्जय कुमार सिंह** )  
विशेष सचिव।